राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

ग्राम–कुशलिया, ब्लॉक–रज़ापुर, ज़िला–ग़ाज़ियाबाद।

एस0एम0डी0सी0 अनुशासन अनुबन्ध पत्र (सत्र 2024–25)

एस0आर0 संख्या.................... दिनाँक...

1. सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रत्येक दशा में विद्यालय परिसर में प्रार्थना के समय से पहले पहुँचना अनिवार्य होगा।
2. सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में निर्धारित ड्रैस कोड का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
3. सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में प्रवेश के समय से लेकर छुट्टी के समय तक पूर्ण रूप से अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रधानाचार्या के बुलाये जाने तथा विद्यालय में निर्धारित की गयी बैठक के दिनाँक एवं समय पर छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक में से किसी एक को (आपात स्थिति को छोड़कर) विद्यालय परिसर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
5. विद्यार्थियों को लंच में टिफिन एवं पानी की बोतल लाना अनिवार्य रहेगा क्योंकि विद्यालय अवधि में भोजनावकाश के समय भी विद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नही है।
6. बायोमैट्रिक मशीन के द्वारा उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति के बाद ही किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।
7. प्रार्थना पत्र के आधार पर ही विद्यार्थी अवकाश ले सकेगा। तीन दिन से ज्यादा यदि विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक की ही होगी।
8. किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय से घर जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में माता/पिता के प्रार्थना पत्र देने पर ही घर जाने देने की अनुमति पर विचार किया जायेगा।
9. विद्यार्थी अथवा समस्त सम्बन्धी या रिश्तेदार के विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के वाहन के साथ प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
10. मोबाईल, तम्बाकू, सिगरेट इत्यादि ऐसी वस्तुएँ जिनको विद्यार्थी द्वारा विद्यालय परिसर में लाने पर विद्यालय की अनुशासनहीनता प्रभावित होती है, वर्जित है। ऐसी वस्तुएँ पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
11. मोबाइल नम्बर जिस पर विद्यालय द्वारा मैसेज भेजा जाता है वो माता/पिता व अभिभावक का सही नम्बर होना चाहिए। यदि आपको सूचना मोबाइल पर नहीं मिलती है या मोबाइल नम्बर परिवर्तित होता है तो दोनो ही परिस्थितियों में विद्यालय के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तत्काल सही करा लें।
12. उपरोक्त लिखे 1 से 11 तक के नियमानुसार उल्लंघन करने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध प्रधानाचार्या द्वारा प्रत्येक दशा में की गयी कार्यवाही मान्य होगी।

....
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर
छात्र/छात्रा का नामः–
कक्षाः–

....
पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर
पिता/माता/अभिभावक का नामः–
मोबाइल नम्बरः–

आज्ञानुसार प्रधानाचार्या